



इंदौर विकास प्राधिकरण  
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

(व्ययन नियम, 2018 के नियम 21 के अंतर्गत सूचना पत्र)

प्रति,

श्री/श्रीमती

विषय :- व्ययन नियम, 2018 के नियम 21 के अंतर्गत वार्षिक पट्टा भाटक की राशि का भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली विषयक।

-0-

उपरोक्त विषय में आप को सूचित किया जाता है कि, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा आपको आवंटित संपत्ति क्रमांक + + योजना क्र. + + की वार्षिक पट्टा भाटक की राशि रु. + +/- विगत + + वर्षों से दिनांक + + की स्थिति में बकाया है।

उक्त राशि इस सूचना पत्र के जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। राशि जमा नहीं होने की स्थिति में व्ययन नियम, 2018 के अनुसार भू-राजस्व की बकाया के रूप में करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।

बकाया राशि पूर्व से जमा होने की स्थिति में उक्त सूचना पत्र को निरस्त माना जावे एवं जमा राशि की पावती प्रस्तुत कर अद्यतन की जाना सुनिश्चित कर आपका मोबाईल नंबर एवं ई-मेल की जानकारी इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वसूली अधि./संपदा अभि.

इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर